

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6


(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिये)

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1(6)एफडी/नियम/98 दिनांक 28.12.98, प.1(6)वित्त नियम/98 दिनांक 24.05.2004 एव प.12(6)वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति तिथि से सरकारी सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं	नाम कार्मिक	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	विजेन्द्र कुमार बुन्दवाल	प्रधानाचार्य	राउमावि लेडी, लाडनू नागौर	09.06.1958	30.06.2018

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिक के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 01-राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है
- 02-राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्ति/2018-19/

दिनांक 18-06-18

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1-संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
- 2-संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
- 3-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित किया जाकर पाबन्द किया जाता है कि उल्लेखित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही पेंशन प्रकरण संबंधी आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लावे।
- 4-एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, को सूचना बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5-संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6-रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर